परिदृश्य

प्रवासी रोजगार प्रभाग

भारत से हर वर्ष अनेक लोग विदेशों में रोजगार के प्रयोजनों के लिए विदेश जाते हैं। इनमें से लगभग 7-8 लाख उत्प्रवासी उन देशों में जाते हैं, जिन्हें 'उत्प्रवास जाँच आवश्यक' (ईसीआर) देशों के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये देश हैं- अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतार, साऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन ।

पिछले वर्ष 2016 के दौरान ईसीआर श्रेणी के व्यक्तियों को दी गई उत्प्रवास मंजूरी (ईसी), इस प्रकार थी:

- **अफगानिस्तान 0%**
- **बहरीन 2%**
- **इंडोनेशिया 0%**
- **इराक 0%**
- **जोर्डन 0%**
- **कुवैत 9%**
- **लेबनान 0%**
- **लीबिया 0%**
- **मलेशिया 3%**
- **ओमान 10%**
- **कतर 8%**
- **साऊदी अरब 43%**
- **सूडान 0%**
- **थाईलैंड 0%**
- **संयुक्त अरब अमीरात 25%**

इन प्रवासियों (अंत्यावसायी) में से बहुत से लोग कम पढ़े-लिखे और अर्द्ध- कुशल या अकुशल होते हैं; उनके पासपोर्ट पर एक 'उत्प्रवास जांच आवश्यक' (ईसीआर) टिप्पणी चिपका कर उन्हें पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। रोजगार के लिए विदेश यात्रा करने से पूर्व, उन्हें उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालयों में से किसी एक से 'उत्प्रवास क्लीयरेंस' प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। उत्प्रवास मंजूरी एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि उसे विदेशों में ठगा नहीं

जाएगा और इसे वेतन की पेशकश की पुष्टि करने, रोजगार अनुबंध की शर्तों, विदेशी नियोक्ता की साख और प्रवासी भारतीय बीमा योजना के माध्यम बीमा की पुष्टि करने के बाद जारी किया जाता है। उत्प्रवास मंजूरी अब उत्प्रवासी दस संरक्षक जिनके कार्यालय चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, मुंबई, रायबरेली, और तिरुअनंतपुरम में स्थित हैं द्वारा ऑनलाइन जारी की जाती है।

कुशल/ अर्ध-कुशल श्रमिकों के अतिरिक्त, बहुत से छात्र और उच्च कुशल पेशेवर भी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आदि देशों में जाते हैं, जहां श्रम और रोजगार कानून सुपरिभाषित हैं और स्थानीय कानून के अंतर्गत प्रवासियों के हितों को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है। ऐसे देशों में प्रवास के लिए कोई उत्प्रवासन स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक नहीं है। इन देशों को उत्प्रवासन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं (ईसीएनआर) देशों के रूप में जाना जाता है।

संक्षेप में, उत्प्रवासन स्वीकृति (ईसी) की प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी भारतीय, जो प्रवास करता है, उसे उचित कौशल विकास और पूर्व प्रस्थान उन्मुखीकरण के बाद सुरक्षित रूप से विदेश जाना चाहिए।

विदेशों में रोजगार, विशेष रूप से कम शिक्षित अंत्यावसायी सुरक्षा को विनियमित करने के लिए, उत्प्रवास जाँच आवश्यक प्रक्रिया को "ई-माइग्रेट" नामक एक अनूठी कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक तरफ विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना और गृह मंत्रालय के अप्रवासन ब्यूरो से तथा दूसरी तरफ 18 ईसीआर देशों में स्थित भारतीय मिशनों, विदेशी नियोक्ताओं और पंजीकृत भर्ती एजेंटों के साथ एकीकृत है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी हितधारक एक ही इलेक्ट्रॉनिक मंच पर हैं, जो "व्यापार में सुविधा" को काफी बढ़ाती है और सभी मोर्चों पर सभी हितधारकों के लिए त्वरित और आसान कार्रवाई सुनिश्चित करती है। जब भी कोई उत्प्रवासी विदेश जाने के लिए किसी हवाई अड्डे या जांच चौकी पर आता तो उत्प्रवासी अधिकारी उसके पासपोर्ट का ब्यौरा ऑनलाईन अद्यतित करते हैं और केवल उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, जिन्होंने उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। यह भारतीय कामगारों के संभावित शोषण के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उपाय है।

ई-माइग्रेट प्रणाली उत्प्रवासी महासंरक्षक के नियंत्रण में कार्य करती है जो विदेशी नियोजन हेतु विदेश जाने वाले भारतीय उत्प्रवासियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के जरिए उत्प्रवासी अधिनियम,1983 के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से अथवा उत्प्रवासी संरक्षक के माध्यम से शक्तियों और उत्तरदायित्तवों का निर्वाहन करते हैं।

विदेश मामले मंत्रालय के विदेश मंत्रालय के साथ विलय के बाद, विदेश मंत्रालय का प्रवासी रोजगार प्रभाग, अब ईसीएनआर देशों में संकट में पड़े प्रवासी भारतीय प्रवासियों और गैर-ईसीआर पासपोर्ट धारकों की सहायता के लिए उन तक

पहुंच रहा है, और भारत के विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की जा रही अवैध भर्ती गतिविधियों के खिलाफ राज्य सरकारों तथा उनकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करता है ।

****